



अनुरोधकर्ता को सूचना देने का प्रपत्र

मुख्यालय,

पुलिस

महानिदेशक,

उत्तराखण्ड

12-सुभाष रोड, देहरादून।

(दूरभाष सं०: 0135-2712685, फैक्स नं०: 2712080, E.mail: dgc-police-ua@nic.in)

पत्रांक: पु०मु०/लो०सू०-648/2022

दिनांक: फरवरी 16, 2023

सेवा में,

श्री नदीम उद्दीन,

(राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता),

पता: कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग,

अल्लीखां, काशीपुर-244713,

ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

(रजि० पोस्ट)

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रेषित अपने सूचना अनुरोध पत्रांक: 1570/सू.अ./2023 दिनांक: 13/01/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड में दिनांक: 01/02/2023 प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त सम्बन्ध में आपके सूचना अनुरोध पत्र बिन्दु संख्या: 03 की आवेदित पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड सम्बन्धी सूचनायें विन्दुवार निम्नवत् हैं:-

बिन्दु संख्या: 3.1, 3.7 एवं 3.8- इस बिन्दु में आवेदित वांछित सूचना के सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक, अपराध, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त सूचना पत्रांक: डीजी-अप०-120(17)/ 2023, दिनांक: 08/02/2023 की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित है।

बिन्दु संख्या: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एवं 3.6- इस बिन्दु में आवेदित वांछित सूचना के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त सूचना पत्रांक: डीजी-याता-19/2023, दिनांक: 03/02/2023 की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हों, तो अधिनियमानुसार प्रथम अपीलिय अधिकारी/पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, 12-सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष अधिनियमानुसार प्रथम अपील पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न: यथोपरि।

(शाहजहाँ जावेद खान) 10/2/23

लोक सूचना अधिकारी/

अपर पुलिस अधीक्षक(कार्मिक),

पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

कार्यालय निदेशक यातायात उत्तराखण्ड, देहरादून।
बहुउद्देशीय भवन, कचहरी रोड, देहरादून।

पत्रांक: डीजी-याता-19/2023

दिनांक: फरवरी 31, 2023

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अपर पुलिस अधीक्षक(कार्मिक),
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय: श्री नदीम उद्दीन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी
सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।


कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: पु0मु0/लो0सू0- 648/2022, दिनांक 01.02.2023
का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक श्री नदीम उद्दीन के द्वारा सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुरोध पत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त सन्दर्भ में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी वर्ष 2022 की वांछित सूचना संलग्न कर सादर
प्रेषित है।

बिन्दु संख्या- 3.1, 3.7 व 3.8 की सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है।

बिन्दु संख्या- 3.2- से 3.6 तक की सूचना संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न: यथोपरि - 01 वर्क।


3/2

(मुख्तार मोहसिन)

पुलिस महानिरीक्षक/

निदेशक यातायात

उत्तराखण्ड।

राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 2022 में प्रवर्तन की कार्यवाही
एवं प्राप्त संयोजन शुल्क का विवरण

क्र०सं०	जनपद	राज्य में कुल चालान/संयोजन शुल्क		सीपीयू द्वारा किये गये चालान/संयोजन शुल्क	
		कुल चालान (लाख में)	संयोजन शुल्क (करोड़ में)	कुल चालान (लाख में)	संयोजन शुल्क (करोड़ में)
1	उत्तरकाशी	0.069	0.27	0	0
2	टिहरी	0.700	3.48	0	0
3	चमोली	0.165	1.07	0	0
4	रूद्रप्रयाग	0.097	0.47	0	0
5	पौड़ी	0.331	1.56	0	0
6	देहरादून	1.345	10.26	0.360	1.0899
7	हरिद्वार	0.802	3.03	0.271	1.0875
8	नैनीताल	0.604	3.41	0.126	0.5425
9	ऊ० नगर	1.018	7.00	0.294	0.9345
10	अल्मोड़ा	0.189	1.24	0	0
11	बागेश्वर	0.142	0.67	0	0
12	पिथौरागढ़	0.253	0.97	0	0
13	चम्पावत	0.159	0.81	0	0
योग		5.87 Lac	34.24 Cr	1.05 Lac	3.65 Cr

